न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
मिसल न0– 10 / 2024
अनवान :–

1. प्रहलाददत पुत्र पूर्णमल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।

प्रार्थी / सायल

बनाम्

1. हरिप्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. बालारानी पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. देवकी शर्मा पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. अनापूर्णा पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
7. अक्षम शर्मा पुत्री राजबाला जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. अनिल कुमार पुत्र राजबाला जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. इन्द्र कुमार पुत्र ऋषी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. दीवानचन्द गोड पुत्र ऋषी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र ऋषी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. पुष्पा देवी पुत्री ऋषी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. मनोज शर्मा पुत्र ऋषी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. मंयक शर्मा पुत्र रूकमणी जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. रामकिशन पुत्र कमलादेवी जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नेाहर।
16. सत्यनारायण पुत्र कमलादेवी जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र ऋषी कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. हर्ष शर्मा पुत्र रूकमणी जाति ब्रहाम्ण निवासी नेाहर तहसील नोहर

असल गैरसायल

19. नन्दलाल पुत्र चानणराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नेाहर तहसील नोहर

तरतीबी **गैरसायलान**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री महेशचन्द्र, अभिभाषक, गैरसायल

निर्णय दिनांक : 10/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 27 एनटीआर के खाता संख्या 55 / 49 की कुल 1.5180हैक् भूमि स्थित है जिसके प्रहलाद दत्त पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण खातेदार है

रोही मौजा चक 27 एनटीआर के खाता संख्या 29 / 29 की कुल 7.0840हैक् भूमि में प्रार्थी अकेला 11 / 14 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 3 / 14 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी रोही मौजा चक 27 एनटीआर के खाता संख्या 116 / 107 की कुल 6.3250हैक् भूमि स्थित है जिसके [illegible] 5 खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में [illegible] से चलकर सडक से होते हुए अपने खेत में जाने [illegible] के किला न0 1[illegible] में से दक्षिण से उत्तर की तरफ पूर्वी साईड से अपने खेत के किला न0 13 में प्रवेश [illegible] जाता है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी के खेत में आवागमन करने हेतु यही रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थी को खेत राजकीय पशु चिकत्सालय के पास है तथा आने जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है

प्रार्थी के खेत में जाने वाला उक्त रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 आवागमन मं बाधा उत्पन्न करते है इसलिये प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी प्रार्थना पत्र 251 के के समस्त शर्तो की पालना करने के लिये तैयार है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 27 एनटीआर के प0न0 326/431(59) के किला न0 18 व 23 की भूमि में दक्षिण से उतर की तरफ पूर्वी साईड में एक एक गठठा रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा शेष गैरसायल को रजिस्टर सम्मन से तलब किया गया किन्तु सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने पर सायल के निवेदन पर गेरसायल के सम्मन समाचार पत्र में साया करवाये गये गैरसायल संख्या 7 ता 18 के सम्मन समाचार पत्र में साया करवाने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई

गेरसायल संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हए जबाब पेश किया की गैरसायल संख्या 1 ता 5 ने काफी मेहनत करके अपनी भूमि को उपजाउ बनाया गया है प्रार्थी ने एक वर्ष पूर्व ही भूमि खरीद की है जिसका आवागमन पूर्व से अपनी खातेदारी भूमि के मु0न0 55 के उतरी पत्थर लाईन से सदैव रहा है वही से सदैव आता जाता रहा है तथा अब किला न0 8 व 13 अपना बताकर रास्ता की मांग की हे जो विधि विरूद्व है क्योकि किला न0 8 व 13 मु0न0 55 की भूमि सयुक्त खाता की भूमि है जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक कोई अपनी भूमि नही बता सकता है सयुक्त खाता की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जब तक सयुक्त खातेदार सहमत नही होते तब तक कोई निर्णय रास्ता के सम्बध में नही किया जा सकता है

प्रहलाद दत का प्रार्थना पत्र विधि से वर्जित है क्योकि सयुक्त खाता की भूमि में सभी सयुक्त खातेदार रास्ता की मांग कर सकते है अकेला खातेदार मांग नही कर सकता है मु0न0 55 के पत्थर लाईन पर किला न0 25 ,16 में जहॉ से पूर्व गैर मु0 खाला दर्ज था तथा वर्तमान में पक्का खाला अलग से बन चुका है अब उतरदाता की खातेदारी भूमि हो चुकी है तथा गैरमुमकिन से मुमकिन दर्ज होना शेष रही हे यदि इस भूमि में से रास्ता संभव हो और बदले में चार बिश्वा भूमि गेरसायल संख्या 1 ता 5 पाने के अधिकारी है

प्रहलाद दत का मंजूर रास्ता से मु0न0 55 के किला न0 20 ,21 की पश्चिमी पत्थर लाईन से किला न0 11 ,12 की दक्षिण पासा से सदैव आवागमन रहा है क्योकि यह राजकीय भूमि है इसके अलावा प्रहलाद दत की भूमि इन किलेजात के चिपते उत्तर की तरफ बहुत भूमि है उसमें भी आने जाने का रास्ता पूर्व से मौजूद है दुसरा रास्ता पाने का अधिकारी नही है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को पूर्व से रास्ता उपलब्ध है सयुक्त खातेदारो से रास्ता मागने का अधिकारी नही है मनगढत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज फरमावे।

जबाब गैरसायल संख्या 1 ता 5 [illegible] मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर शामिल मिसल [illegible] उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता [illegible] अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 27 एनटीआर में सायल की खातेदारी भूमि है जिसमें जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल हमेशा से चक 14 बारानी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चलकर पक्की सडक से होते हुए रोही मौजा चक 27 एनटीआर के प0न0 326/431(59) के किला न0 18 ,23 के दक्षिण से उत्तर की तरफ पुर्वी साईड से होते हुए अपने खेत में प्रवेश कर जाता है उक्त भूमि सयुक्त खाते में गैरसायलान की भूमि है सायल उक्त रास्ता का उपयोग अपने खेत में आने जाने के लिये करता आ रहा है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं निकटतम है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायल कभी भी बन्द कर सकते है जिससे सायल अपनी भूमि में आवागमन करने में असमर्थ हो जावेगा जिससे सायल के हको का हनन होगा सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है अतः सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 27 एनटीआर के प0न0 326/431(59) के किला न0 18 ,23 के दक्षिण से उत्तर की तरफ पुर्वी साईड में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 ता 5 ने काफी मेहनत करके अपनी भूमि को उपजाउ बनाया गया है प्रार्थी ने एक वर्ष पूर्व ही भूमि खरीद की है जिसका आवागमन पूर्व से अपनी खातेदारी भूमि के मु0न0 55 के उतरी पत्थर लाईन से सदैव रहा है वही से सदैव आता जाता रहा है तथा अब किला न0 8 व 13 अपना बताकर रास्ता की मांग की हे जो विधि विरूद्व है मु0न0 55 के पत्थर लाईन पर किला न0 25 ,16 में जहॉ से पूर्व गैर मु0 खाला दर्ज था तथा वर्तमान में पक्का खाला अलग से बन चुका है अब उतरदाता की खातेदारी भूमि हो चुकी है तथा गैरमुमकिन से मुमकिन दर्ज होना शेष रही हे यदि इस भूमि में से रास्ता संभव हो और बदले में चार बिश्वा भूमि गेरसायल संख्या 1 ता 5 पाने के अधिकारी है प्रहलाद दत का मंजूर रास्ता से मु0न0 55 के किला न0 20 ,21 की पश्चिमी पत्थर लाईन से किला न0 11 ,12 की दक्षिण पासा से सदैव आवागमन रहा है क्योकि यह राजकीय भूमि है इसके अलावा प्रहलाद दत की भूमि इन किलेजात के चिपते उत्तर की तरफ बहुत भूमि है उसमें भी आने जाने का रास्ता पूर्व से मौजूद है दुसरा रास्ता पाने का अधिकारी नही है इसप्रकार सायल को पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है अन्य रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार

रोही मौजा चक 27 एनटीआर के खाता संख्या 55/49 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि स्थित है जिसके प्रहलाद दत्त पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण खातेदार है

रोही मौजा चक 27 एनटीआर के खाता संख्या 29/29 की कुल 7.0840हैक्ट भूमि में प्रार्थी अकेला 11/14 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 3/14 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी रोही मौजा चक 27 एनटीआर के खाता संख्या 116/107 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि स्थित है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी/सायल का कथन है उनको अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी/सायल अप्रार्थीगण /गैरसायलान की भूमि के रोही मौजा चक 27 एनटीआर के प0न0 326/431(59) किला न0 23 ,18 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि मे प्रवेश करते है जिसे स्वीकृत करवाना चाहते है प्रार्थीगण को कथन मोका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

अप्रार्थीगण का विरोध है कि प्रार्थी को [illegible] खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य निकटतम रास्ता उपलब्ध है अप्रार्थी[illegible] भूमि जो सयुक्त खाता में दर्ज में सें रास्ता स्वीकृत करवाने का [illegible] कथन उचित नही है क्योकि अन्य रास्ता उपलब्ध होने के [illegible]पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थीगण को रास्ता पूर्व में उपलब्ध है मा[illegible]कथन किया गया है कथनों के आधार पर अप्रार्थीगण का कथन स्वीकार योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि में से आवागमन किया जाता रहा है मौके पर भूमि खाली है तथा प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एव मौक पर चालू है से जुडता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुचन के लिये मु0न0 59 के किला न0 23 ,18 में रास्ता उपलब्ध हो सकता है तथा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित अंकित किया गया है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि और स्वीकृतशुद्वा रास्ता जो मौक पर चालू है के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि प0न0 326/431(59) किला न0 23 ,18 पडते है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे पहुच सकते है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई छोटा रास्ता उपलब्ध नही हो सकता है यही रास्ता सबसे छोटा एवं सुविधाजनक उपलब्ध हो सकता है राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 खाला के स्थान पर रास्ता दर्ज किया जाना विधिसम्मत नही है।

किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित है किन्तु जहॉ से रास्ता दिया जा रहा है वह सायल व अन्य काश्तकारो के लिये उपयोगी हो और अन्य किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नही होते हो प्रार्थी ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह न्यायोचित है जिससे गैरयायल के हित भी प्रभावित नही हो रहे है।

अप्रार्थीगण का कथन है कि भूमि सयुक्त खातें में दर्ज है इसलिये जब तक खाता विभाजन नही हो जाता रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है अप्रार्थीगण का कथन स्वीकार योग्य नही है सयुक्त खाते में दर्ज भूमि में रास्ता दिया जा सकता है रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दी जाकर सयुक्त खाते में दी जाकर क्षतिपूर्ति की जाकर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है हस्तगत प्रकरण में भी सभी सहखातेदारो को सुनवाई का अवसर दिया गया है

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुचन के लिये स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं स्वीकृत रास्ता जो मौके पर चालू है के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थी स्वीकृत रास्ता से जूड जाता है और अपनी भूमि में आसानी से आवागमन कर सकता है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये मौका रिपोर्ट अनुसार नही है अतः प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना विधिसम्मत है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 27 एनटीआर के प0न0 326/431 (59) के किला न0 18 ,23 में दक्षिण से उतर की तरफ पूर्वी साईड में 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प्रार्थी/सायल– अप्रार्थीगण/गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए रास्ते की भूमि को छोडते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)